



वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय, जौनपुर

पत्रांक: 12166 पू०वि०वि०/सा०प्रशा०/एफ-²⁵⁵²/2007

दिनांक: 12.11.2007

सेवा में,

श्री नृपेंद्र सिंह ए. राजेश का सिंह
286, ई. परमानतपुर
पं. - कचहरी जौनपुर
जौनपुर - 222002

कार्यपरिषद के दिनांक- 07.11.2007 के निर्णय/प्रावधानों के क्रम में स्ववित्तपोषित योजना के अन्तर्गत संचालित पाठ्यक्रमों में संविदा के आधार पर एक वर्ष के लिये फार्मैसी विभाग/संकाय/संस्थान में प्रवक्ता/श्रीडर/प्रोफेसर के रूप में आपको अध्यापन कार्य करने की अनुमति निम्न शर्तों/प्रतिबंधों के अधीन दी जाती है।

1. आपको ₹० 2,00,000/- नियत मानदेय प्रति माह देय होगा और इसके अतिरिक्त कोई भी अन्य भत्ते देय नहीं होंगे।
2. कार्यभार ग्रहण करते समय ₹० 20/- मूल्य के गैर न्यायिक स्टाम्प पेपर पर संविदा पत्र पर हस्ताक्षर करना आवश्यक होगा, जिसमें आपकी सेवा शर्तों का उल्लेख है।
3. उपरोक्त नियुक्ति के आधार पर आगे सेवा की निरन्तरता या भविष्य में रिती पद पर विनियमितकरण का कोई दावा मान्य नहीं होगा।
4. यह नियुक्ति बिना कोई कारण बताये समाप्त की जा सकती है। इस विषय में कुलपति का निर्णय अन्तिम माना जायेगा।
5. स्ववित्तपोषित पाठ्यक्रम के अन्तर्गत जारी शासनादेशों के क्रम में अनुमन्य अवकाश के अतिरिक्त अनुपस्थित रहने पर संविदा, धनराशि में प्रतिदिन के दर से कटौती की जा सकेगी।
6. आप दिनांक 05.01.2008 तक संविदा के आधार पर अपना कार्यभार ग्रहण कर लें, अन्यथा की स्थिति में यह आदेश स्वतः निरस्त हो जायेगा।

कुलसचिव

प्रतिलिपि- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1. निजी सचिव कुलपति, कुलपतिजी के सूचनार्थ।
2. आशुलिपिक वित्त अफि जरी, वित्त अधिकारी जी के सूचनार्थ।
3. प्रभारी/विभागाध्यक्ष फार्मैसी संकाय।
4. उपकुलसचिव/सहायक कुलसचिव, प्रशासन।
5. व्यक्तिगत पत्रावली।

Receiver
V.B.S. Purvanchal University
Jaunpur

कुलसचिव